न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांक– 3075 दिनांक–18/07/25

आदेश

वन अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, अलवर को आवंटित किया जाता है।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, अलवर

01. वन अधिनियम
02. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

(थानागाजी न्याय क्षेत्र को छोडकर) उद्भूत होने वाले सभी प्रकरण।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो।

अर्चना गुप्ता
(अर्चना गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

कमांक– 3076-82 दिनांक– 18/07/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित है–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
02. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
03. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर
04. कार्यालय प्रति/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन.....
05. सम्बन्धित न्यायालय– अति. मुख्य न्या.मजि. संख्या 1 व 4, अलवर
06. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)

अर्चना गु॰
(अर्चना गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)